**न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।**
**पीठासीन अधिकारी–श्रीमती पारूल कुमारी, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (उ.प्र. 3546)**

पंजीकरण संख्या–159/2018

विविध वाद संख्या–43/2018

मु0अ0सं0–522/2017

श्रीमती इसरत जहां बनाम नसीम आदि

अंतर्गत धारा–420, 506 भा.दं.सं.

थाना– गढ़मुक्तेश्वर जनपद–हापुड़।

**दिनांक–17.07.2026**

पत्रावली पेश हुई।

वादिनी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता को पत्रावली पर दाखिल आपत्ति प्रार्थनापत्र पर विस्तारपूर्वक सुना जा चुका है।

वादिनी मुकदमा द्वारा जरिए विद्वान अधिवक्ता आपत्ति प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि ''वादिनी मुकदमा के पिता का एक पुश्तैनी मकान मौ० दरगाह शरीफ गढ़मुक्तेश्वर जिला हापुड में स्थित है। जिसमें आज से करीब 25 पूर्व सिराजुददीन अपनी पत्नि नसीम के साथ वादिनी मुकदमा के पुश्तैनी मकान में किराये पर रहने के लिए कहने लगा तब वादिनी मुकदमा के पिता ने अपने मकान के बाहर के पश्चिमी भाग को जिसमें कमरा लैटरीन बाथरूम बने है किराये पर सिराजुददीन व नसीम को रहने के लिए दे दिया। यह कि उक्त सिराजुददीन व नसीम वादिनी मुकदमा के पिता को समय पर किराया देते रहे तथा आज से करीब 10–15 वर्ष पूर्व सिराजुददीन अपनी पत्नि नसीम को छोडकर चला गया तब नसीम ने वादिनी मुकदमा के पिता से हाथ जोडकर कहा की मुझे इस मकान में रहने दो में कहा जाउगी में तुम्हारे मकान का पहले की तरह किराया देती रहूँगी। वादिनी मुकदमा के पिता नसीम उक्त मकान में सामाजिक दृष्टि से रहने दिया। नसीम ने उसमें अपनी गुजर–बसर के लिए एक दुकान खोल ली एक दुकान खोल दी वादिनी मुकदमा के पिता की मृत्यु के बाद वादिनी मुकदमा व उसका भाई अपने परिवार सहित अपने मकान के बाकी हिस्से में रहते रहे तथा नसीम को किराये पर दिये गये हिस्सा का किराया लेते रहे कई माह से नसीम वादिनी मुकदमा को यह कहकर कि काम मन्दा चल रहा है किराया दे दूंगी और टालती रही वादिनी मुकदमा के कई बार मांगने पर बहाना बनाकर टाल देती तथा दिनांक 01.11.2017 को किराया देने का वादा किया जब वादिनी मुकदमा ने दिनांक 01.11.2017 को किराया मांगा तो नसीम ने कहा कि किराया मांगने मत आना मैं किराया नही दूंगी। तथा वहाँ उपस्थित लोगो के सामने मार पीट पर उतारू हो गयी और धमकी देने लगी की जान से मरवा दूंगी और झूठे केस फंसवा दूंगी यह मकान तो अपनी लडकी रजिया के नाम कर दिया है। तब वादिनी मुकदमा व मोहल्ले के उपस्थित लोग यह बात सुनकर हक्के बक्के रह गये तथा सब रजिस्ट्रारी कार्यालय गढ़मुक्तेश्वर पर मुआयना कराया तो पता चला कि नसीम पत्नि सिराजुददीन हाल निवासी दरगाह शरीफ ने अपनी इकलौती लडकी रजिया पत्नि इशराक हाल निवासी ग्राम सीना थाना मवाना जिला मेरठ अलाउददीन पुत्र मौ० हनीफ व जाकिर हुसैन पुत्र अलीहसन निवासीगण मौ० दरगाह शरीफ गढ़मुक्तेश्वर ने आपस में साझकर वादिनी मुकदमा के पुश्तैनी मकान को कय विक्रय कर लिया है।

मान्य न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामले की परिस्थितयों को देखते उपरोक्त अभियुक्तगण के खिलाफ दिनांक 08.12.2017 को थानाध्यक्ष गढ़मुक्तेश्वर को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने व विवेचना के आदेश पारित कर दिये थे। तथा मान्य न्यायालय के आदेश के उपरान्त थाना अध्यक्ष ने मु०अ०सं० 522 सन् 2018 धारा 420,506, आई०पी०सी० मे उपरोक्त मामलें अभियुक्तगण के खिलाफ दर्ज कर दिया था। उक्त मुकदमे के विवेचक ने बिना दिमाग का प्रयोग करते हुयें उपरोक्त अभियुक्तगण से साँठ गाँठ कर ली है और राजनैतिक दबाव के कारण वादिनी ईशरतजहां के बयान नही लिये है तथा ना ही घटना स्थल पर पहुँचे है तथा आस पास के व्यक्तियों से कोई पूछताछ भी नहीं की है। और उक्त अपराध सख्या में अतिंम रिर्पोट प्रेषित कर दी है। न्यायाहित मे उक्त एफ०आर० को खण्डित किये जाना उचित है। यदि उक्त एफ०आर० खण्डित नही किया जाता है तो वादिनी मुकदमा की बहुत हानि व हकतल्फी होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी दशा में सम्भव नही है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त अन्तिम रिर्पोट को खण्डित करें अभियुक्तगण उपरोक्त को न्यायालय में तलब करनें की कृपा करें, जिससे वादिनी मुकदमा को साक्ष्य के आधार पर न्याय मिल सकें।

प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र के समर्थन में वादिनी ने स्वयं अपना शपथ पत्र दाखिल किया है।

उपरोक्त मामले में विवेचक द्वारा यह कहते हुए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी कि ''तमामी विवेचना बयान वादिनी व गवाहन, निरीक्षण घटनास्थल व अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर कोई भी पक्ष विवादित मकान पर स्वामित्व सिद्ध करने सम्बन्धित कानूनी प्रपत्र प्रस्तुत नहीं कर सका है। वर्तमान में नगर पालिका परिषद गढ़मुक्तेश्वर में आवेदिका इशरत जहाँ व प्रतिवादिनी की पुत्री रजिया के नाम से दो अलग अलग मकान संख्या क्रमश 96 व 95 दर्ज है दोनो पक्षो द्वारा यह कर अलग अलग जमा किया जा रहा है वर्तमान में अपना मकान आवेदिका द्वारा करीब 3 वर्ष पहले नसरूदीन पुत्र मेहरबान निवासी मो० मिरधापाडा कस्बा व थाना गढ़मुक्तेश्वर को विक्रय कर दिया है। आवेदिका श्रीमती इशरत जहाँ प्रतिवादिनी श्रीमती नसीम के मकान को अपना होना बताती है, जबकि नसीम उक्त मकान में करीब 35 वर्ष से रह रही है, परन्तु उक्त मकान अपना होने के सम्बन्ध में आवेदिका द्वारा कोई कानूनी प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रतिवादिनीगण के विरूद्ध धारा 420/506 भादवि के पुष्टीकारक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए है। अतः विवेचना द्वारा अन्तिम रिपोर्ट स० 52/18 द्वारा समाप्त की जाती है। श्रीमान जी से अनुरोध है अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार करने की कृपा करे।

पत्रावली एवं समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा श्रीराम गर्ग पुत्र राजपाल गर्ग द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए थाना हाजा को सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने हेतु आदेशित किया गया, जिसके आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0–76/2026, सरकार बनाम श्रीमती नसीम आदि, अंतर्गत धारा–420, 506 भा.दं.सं., थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ पंजीकृत हुआ, जिसमें विवेचक द्वारा मुकदमा उपरोक्त पुष्टीकारक साक्ष्य उपलब्ध न होने के आधार पर अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की गयी, जिसके विरूद्ध वादिनी मुकदमा द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि उक्त मुकदमे के विवेचक ने बिना दिमाग का प्रयोग करते हुयें उपरोक्त अभियुक्तगण से साँठ गाँठ कर ली है और राजनैतिक दबाव के कारण वादिनी ईशरतजहां के बयान नही लिये है तथा न ही घटना स्थल पर पहुँचे है तथा आस पास के व्यक्तियों

से कोई पूछताछ भी नहीं की है और उक्त अपराध सख्या में अतिंम रिर्पोट प्रेषित कर दी है। इस बिंदु पर न्यायोचित प्रतीत होता है कि मामले में पुनः विवेचना कराकर आपत्ति के माध्यम से उठाये गये बिन्दुओं के प्रकाश में एवं वादिनी मुकदमा का बयान व गवाहान का बयान लेते हुए जांच करायी जाये। ऐसा प्रतीत होता है कि विवेचक द्वारा किसी के दबाव में बहुत जल्दबाजी अंतिम आख्या प्रेषित की गयी है। अंतिम आख्या के आधार संदिग्ध तथा अपर्याप्त होने के कारण अंतिम आख्या अस्वीकार करते हुए मामले में पुनः विवेचना कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**<u>आदेश</u>**

विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट संख्या 52/2018 दिनांकित 14.05.2018 निरस्त की जाती है तथा वादिनी मुकदमा की आपत्ति प्रार्थनापत्र स्वीकार की जाती है। थानाध्यक्ष गढ़मुक्तेश्वर को आदेशित किया जाता है कि वह किसी वरिष्ठ एवं निष्पक्ष अधिकारी के द्वारा आदेश में दिये गये बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा वादिनी मुकदमा व समस्त गवाहान का बयान लेते हुए पुनः निष्पक्ष विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें। कार्यालय लिपिक इस आदेश के अनुपालन हेतु आदेश की एक प्रति थाना गढ़मुक्तेश्वर को आदेश के अनुपालन हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(पारूल कुमारी)
सिविल जज (जू0डि0)/जे.एम.
गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।



Digitally signed by PARUL KUMARI
Date: 2026.07.24 16:12:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court